रमज़ान के महीने के दिन में संभोग करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

﴿ أسئلة مهمة عن الجماع في نهار رمضان ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ أسئلة مهمة عن الجماع في نهار رمضان ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

रमज़ान के महीने के दिन में संभोग करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्नः

यह बात किसी पर रहस्य नहीं कि जिस व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में अपनी पत्नी से संभोग कर लिया उस पर एक गुलाम आज़ाद करना, या लगातार दो महीने रोज़े रखना, या साठ मिस्कीनों (गरीबों) को खाना खिलाना अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि :

1. अगर आदमी अपनी पत्नी से एक से अधिक बार और विभिन्न दिनों में संभोग कर ले, तो क्या वह प्रत्येक दिन के बदले दो महीना रोज़ा

रखे गा, या केवल दो महीने का रोज़ा रख लेना उन सभी दिनों के लिए काफी जिनमें उसने संभोग कया है ?

2. यदि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस ने अपनी पत्नी से संभोग किया है, उस पर उपर्युक्त हुक्म लागु होता है, बल्कि वह यह समझता था कि जितने दिन उस ने अपनी पत्नी से संभोग किया है उस के बदले एक दिन क़ज़ा करना होगा। तो इस का क्या हुक्म होगा ?
3. क्या पत्नी पर भी उसी तरह कफ्फारा अनिवार्य है जिस तरह पति पर अनिवार्य है ?
4. क्या खाने के बदले पैसा भुगतान कर देना जाइज़ है ?
5. क्या अपनी तरफ से और पत्नी की तरफ से एक ही मिस्कीन को खाना खिलाना जाइज़ है ?
6. यदि कसी को खाना खिलाने के लिए न पाये तो किसी खैराती संस्था, उदाहरण के तौर पर रियाज़ में स्थित जमईयतुल बिर्र या किसी अन्य संस्था को देना जाइज़ है ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

जिस वयक्ति पर रोज़ा अनिवार्य है :

प्रथम : यदि उस ने अपनी पत्नी से समज़ान के दिन में एक बार या एक से अधिक बार एक ही दिन में संभोग किया है, तो उस पर एक ही कफ्फारा अनिवार्य है यदि उस ने पहले संभोग का कफ्फारा नहीं दिया है। और यदि उस ने रमज़ान के दिन में कई दिनों में संभोग किया है, तो उस पर उन सभी दिनों के अनुसार कफ्फारा अनिवार्य है जिन में उसने संभोग किया है।

दूसरा : उस पर संभोग करने से कफ्फारा अनिवार्य हुआ है, चाहे वह जाहिल (हुक्म से अनभिज्ञ) ही क्यों न हो उस पर संभोग के कारण कफ्फारा अनिवार्य है।

तीसरा : पत्नी पर भी संभोग के कारण कफ्फारा अनिवार्य है यदि वह इस मामले में अपने पति की बात मानने वाली थी। किन्तु जिसे बाध्य (मजबूर) किया गया हो उस पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

चौथा : खाना खिलाने के बदले पैसा देना जाइज़ नहीं है, और ऐसा करना उसके लिए किफायत नहीं करेगा (पर्याप्त नहीं होगा)।

पाँचवां : एक ही मिस्कीन को आधा साअ् अपनी ओर से और आधा साअ् अपनी पत्नी की तरफ से खाना खिलाना जाइज़ है। और इसे उन दोनों की तरफ से साठ मिस्कीनों में से एक मिस्कीन को खाना खिलाना समझा जाये गा।

छठा : उसे एक ही मिस्कीन को देना जाइज़ नहीं है, और न ही खैराती संस्था या अन्य किसी को देना जाइज़ है, क्योंकि हो सकता है कि वह उसे साठ मिस्कीनों पर वितरित न करे। मोमिन पर अनिवार्य यह है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को कफ्फारों और अन्य वाजिब चीज़ों से बरी करने का अभिलाषी और लालायित हो।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, उनकी संतान और उनके साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फतावा (10/320) से।